निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

प्रकरण संख्या 25/2024 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये कविता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ।

प्रार्थी

बनाम

रईस अहमद पुत्र श्री इशाक निवासी 732, विसायतियों का मोहल्ला, रामगज बाजार, जयपुर फर्म मैसर्स गरीब नवाज होटल, दुकान नम्बर 113–114 दूदू हाउस के नीचे, रामगंज बाजार, जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 21.500 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ व 03 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जुबेर इरशाद अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.05.2024 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैद्य भण्डारण एवं वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के साथ मैसर्स गरीब नवाज होटल दुकान नम्बर 113–114 दूदू हाउस के नीचे, रामगंज बाजार, जयपुर की फर्म मालिक श्री रईस अहमद पुत्र श्री मोहम्मद ईशाक की मौजूदगी में जांच की गई। परिसर मे कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ बीपीसीएल के मय 21.500 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰03 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप के पाये गये। अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 14.200 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 21.500 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ एवं 03 रेग्यूलेटर मय बरड पाईप को राजसात (Confiscate) करने आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 08.05.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निरतारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी को जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जुबेर इरशाद ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर दुकान के बाहर एक कोने में, दूसरा घरेलू गैस सिलेण्डर दुकान के अन्दर पाया गया जिसको भट्टी से जोड कर सब्जी बनाई जा रही थी। प्रथम तल पर एक घरेलू गैस सिलेण्उर को भट्टी से जोड कर सब्जी बनाई जा रही थी। मौके पर भट्टी से जुडे गैस सिलेण्डर्स को हटवा कर अलग रखवाया गया। उक्त स्थान पर 02 घरेलू गेस सिलेण्डर ओर रखे पाये गये। मौके पर मैसर्स खण्डेवाल गैस ऐजेन्सी के डिलीवरीमेन को साल्टर मशीन के साथ बुलाकर कर इनका तौल कराया गया तो परिसर मे कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ बीपीसीएल के मय 21.500 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ के पाये गये है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को वाणिज्यक दर से कम दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर से रोटी सब्जी बनाकर उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है। इससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है । अप्रार्थी द्वारा अवैद्य घरेलू गैस का अवैद्य दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी व उसके परिवारजनों की रसोई के कनेक्शन शुदा है। परिवार में कार्यक्रम होने से भोजन बनाया जा रहा था जिन्हें रसद विभाग द्वारा गलत तरीके से जब्त कर लिया गया है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डर को रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 08.05.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डर परिवारजनों के होना बताया है, किन्तु समर्थन में जब्त गैस सिलेण्डर बाबत किसी प्रकार का कोई वैद्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया न ही कोई संतोषजनक जबाब दिया गया । घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को वाणिज्यक दर से कम दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स से रोटी सब्जी बनाकर उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है। इससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है एवं प्रकरण में मैन्सरिया पाया जाता

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है। अप्रार्थी का द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा जब्तशुदा 14.200 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 21.500 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ एवं 03 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 14.200 कि॰ग्रा॰ क्षमता के 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 21.500 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ एवं 03 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 20.05.2024 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner